No/Ombudsman/ 98

OFFICE OF THE OMBUDSMAN (MGNREGA), VIKAS BHAVAN, KANGRA AT DHARAMSHALA

To

The Block Development Officer
(Programme Officer MNREGA),
Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.)

Dated: 8/9/10

Subject: Misuse of MGNREGA Funds.

Whereas, a complaint has been received in this office from Shri. Dinesh Kumar and others residents V.P.O. Kabari, G.P. Kabari. The complaint is against the Pradhan. The main allegation are regarding Misuse / Mis-appropriation of MGNREGA funds relating to construction of Link Road **"Guru Ka Tayala" to " Baner Khad"**. Some other allegations against the execution of MGNREGA works have also been mentioned in the complaint. A photocopy of the complaint is enclosed. You are directed to conduct fact finding enquiry into the allegation, afford adequate opportunity of being heard to the complainant as well as opposite party i.e. Pradhan and Secretary. Record their statements and after perusal of relevant records concerning execution of works especially Measurement Book and send report to this office for further initiating proceedings in the matter. Enquiry be conducted personally and not to be entrusted to any other official. It may also be confirmed whether the Panchayat has got done Social Audit of the works executed under MGNREGA or not. The report be submitted within 7 days from receipt of this communication.

Encl: A Photocopy of the Original Complaint.

OMBUDSMAN (MGNREGA),
KANGRA AT DHARAMSHALA

Endst. No. 99

Dated: 9-9.2010

Copy to:

Shri Dinesh Kumar, Pradhan Kisan Sabha, V.P.O. Kabari, Tehsil & District Kangra (H.P.), Dev. Block Nagrota Bagwan for information with the advise that he may present his case before the BDO-cum-Programme Officer, MGNREGA who has been directed above to provide adequate opportunity of being heard to the complainant as well as opposite party.

OMBUDSMAN (MGNREGA),
KANGRA AT DHARAMSHALA

सेवा में,

ओ.पी. शर्मा
लोकपाल मनरेगा,
जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

विषय:- मनरेगा योजना के तहत निर्माणाधीन सम्पर्क सड़क गुरू का टियाला से बनेर खड़ तक में प्रधान ग्राम पंचायत कबाड़ी बलदेव चौधरी द्वारा लाखों रूपये की हेराफेरी व सरकारी धन के दूरपयोग व बर्बाद करने बारे जांच करके दोषी प्रधान के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने बारे शिकायत पत्र ।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मनरेगा योजना तहत लिंक रोड गुरू का टियाला से बनेर खड्ड तक का कार्य मार्च 2008 से चल रहा है जिसमें भारी धांधलियां समय–समय पर की गई जिसकी शिकायत खण्ड विकास कार्यालय में की गई मगर इस सारे मामले पर खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही न की गई। दिनांक 7.10.2009 को प्रस्ताव संख्या 6 एवं दिनांक 23.11.2009 को प्रस्ताव सं0 9 ग्राम पंचायत कबाड़ी में बहुमत के आधार पर पारित हुआ जिसमें प्रधान बलदेव चौधरी के खिलाफ उपरोक्त कार्य में धांधली का आरोप लगाया गया व जांच की मांग की गई मगर पंचायत सचिव की प्रधान से सांठगांठ के चलते सचिव ग्राम पंचायत कबाड़ी ने पारित प्रस्ताव की प्रतियां उच्च अधिकारियों को न भेजी जबकि मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत बारे प्रस्ताव पारित होने के बाबजूद सचिव ग्राम पंचायत कबाड़ी ने भ्रष्टाचार के मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया व दोषी प्रधान को संरक्षण दिया। उसके उपरांत पंचायत सदस्यों ने लिखित शिकायत खण्ड विकास कार्यालय नगरोटा बगवां में दर्ज करवाई मगर वहां पर पंचायत निरिक्षक अशोक कुमार से प्रधान बलदेव चौधरी की सांठगांठ के चलते उस शिकायत पत्र पर भी कोई ठोस कार्यवाही न की गई।

महोदय ग्राम पंचायत कबाड़ी के लोगों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य की सूचना मांगी गई जिसमें स्पष्ट तौर पर पूछा गया कि उपरोक्त कार्य के कौन–2 से फेस सही व कौन – 2 से फेस गलत है प्लान से हटकर अन्य दिशा में सड़क को क्यों बनाया जा रहा है विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है। आर.टी.आई में लि गई सूचना में खण्ड विकास कार्यालय नगरोटा बगवां के कनिष्ठ अभियन्ता नन्दा जी ने यह स्वीकार किया कि पहले से दो फेसों के अनुसार बाकी के फेस सही दिशा में नहीं बनाये जा रहे है और मौखिक रूप से प्रधान ग्राम पंचायत कबाड़ी को इस बारे में बता दिया गया था ।

महोदय मनरेगा योजना तहत 12–15 लाख रूपये जनता की गाढ़ी कमाई से सरकार द्वारा एक ~~सम्पर्क सड़क~~ सम्पर्क सड़क के निर्माण पर खर्च किये जा रहे है काम गलत हो रहा है जनता के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के लोग प्रस्ताव पारित करके शिकायत पत्र के माध्यम से जांच की मांग कर रहे है सचिव ग्राम पंचायत कबाड़ी से लेकर कनिष्ठ अभियन्ता खण्ड विकास कार्यालय नगरोटा द्वारा इस सारे मामले पर लीपापोती की जाती है। कनिष्ठ अभियन्ता मौखिक रूप से गलत कार्य बारे बताते है यानि सरकार के लाखों रूपये बर्बाद हो रहे हैं और कनिष्ठ अभियन्ता के पास लिखित पत्र व्यवहार व जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कागज़–कलम उपलब्ध न हैं महोदय पिछले वर्ष भी सम्पर्क सड़क गुरू का टियाला से वनेर खड्ड के एक फेस का डंग्गा गिर गया था इस बर्ष भी दिनांक .... को बरसात की पहली बरसात में 2–3 माह पहले निर्मित एक डंग्गा गिर गया व साथ लगती सिंचाई कूहल को भी क्षतिग्रस्त कर गया क्योंकि डंग्गों का कार्य ठीक ढंग से न हुआ था व निर्माण सामग्री में भी भारी धांधली की गई। कूहल बंद होने से किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सम्पर्क सड़क पर इतना पत्थर था कि बलदेव चौधरी ने पत्थर तूडवा–2 कर कई ट्रॉली पत्थर तूडवा अन्य लोगों को बेचा मगर फेस IV में ठेकेदार का फर्जी बिल लगाकर 40000/– चालीस हजार रूपये कि राशी हड़प ली अन्य फेसों में भी फर्जी बिल लगाकर भारी घोटाला किया गया है, जिसकी जांच कि जानी जरूरी है। पंचायत सचिव, पंचायत निरीक्षक से लेकर कनिष्ठ अभिन्ता द्वारा उपरोक्त कार्य में बरती गई लाहपरवाही पर उनकी जबाब देही सुनिश्चित कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही कि जाए व गिर गये डंग्गें कि लागत रिकवरी प्रधान बलदेव चौधरी से बसूल कि जाए।

दिनांक : 30–08–2010

प्राथी

दिनेश कुमार एवं ग्रामवासी कबाड़ी
दिनेश कुमार
प्रधान किसानसभा कबाड़ी
ग्राम पंचायत कबाड़ी डाकघर कबाड़ी
तहसील व जिला कांगड़ा हि.प्र.
पिन–176047

प्रतिलिपि:– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सी. पी. जोशी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली।
2. जय राम ठाकुर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हि. प्र. सरकार शिमला।
3. जिलाधीश कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
4. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
5. खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड नगरोटा बगवां।